2015/00194, श्रीमती भगवती बनाम श्रीमती छग्गू

आदेश दिनांक 21.02.2018

पत्रावली मान्नीय राजस्व मण्डल राज.,अजमेर के आदेशानुसार सुनवाई प्रार्थना पत्र स्थगन हेतु पेश हुई। अभिभाषक अपीलांटस व अपीलांटस उपस्थित नही हुए। अभिभाषक अपीलांटस एवं अपीलांटस को रूक–रूक कर आवाजें दिलाई गई, किन्तु कोई भी उपस्थित नही हुए । अभिभाषक श्री राकेश अरोड़ा ने निवेदन किया कि मान्नीय मण्डल के निर्देश अनुसार प्रार्थना पत्र स्थगन पर सुनवाई की जावें।

अभिभाषक श्री अरोड़ा ने बताया कि प्रतिवादीगण/रेस्पोडेन्टस विवादित आराजी के रिकार्डेड खातेदार काश्तकार होने से अधीनस्थ न्यायालय ने वादीगण के वाद को खारिज कर दिया इस प्रकार अपीलांट अब अपील में रहन रखे जाने के आधार पर कोई अनुतोष प्राप्त नही कर सकता हैं, इसलिए प्रथम दृष्टया प्रकरण किसी भी प्रकार से नही बनता हैं, इसलिए न्यायालय हाजा से अनुरोध है कि न्यायालय द्वारा पारित एक तरफा स्थगन आदेश दिनांक 20.04.2004 को वैंकेट किया जावें। आज अभिभाषक अपीलांटस एवं अपीलांटस उपस्थित नही हुए, अतः अपील अपीलांटस अदम हाजरी एवं अदम पैरवी में खारिज की जावें।

अभिभाषक अपीलांटस एवं अपीलांटस को पुनः आवाजें दिलाई गई, किन्तु गत पेशी में अभिभाषक अपीलांटस द्वारा उपस्थित होकर स्वंय उनके द्वारा अथवा वरिष्ठ अभिभाषक द्वारा निश्चित रूप से बहस करने के आश्वासन के बावजूद कोई भी उपस्थित नही हुए। **अतः अपील अपीलांटस अदम हाजरी एवं अदम पैरवी में खारिज की जाती है। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हों।**